प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–सा–3– 1110 /दस–2011–301(09)/2003टी.सी.

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग–3

लखनऊ : दिनाँक : 16 सितम्बर, 2011

विषय:– अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–सा–3–379/ दस–2005 –301(9)/ 2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषित शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों की भांति पेंशन योजना लागू थी, में नव नियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है।

2– शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये हैं, जिनमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कार्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त–पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत थे। इन मामलों में यह जिज्ञासायें की जा रही हैं, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि तथा राज्य सरकार में नियुक्ति की तिथि के आधार पर भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को किस पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरणों का निस्तारण अधोलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाय–

(1) केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारें जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक समझौता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार/ संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते है तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने

जायेंगे। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू नहीं हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होंगे।

(2) यदि केन्द्र सरकार/उपरिसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कर्मचारी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी०एफ०आर०डी०ए०) की नई पेंशन संरचना के अधीन कार्यरत था, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करता है, तो वह नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

(3) यदि केन्द्र सरकार/ पूर्वसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कार्मिक नई पेंशन योजना से आच्छादित था तथा उत्तर प्रदेश के अधीन नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व उत्तर प्रदेश में लागू पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा तथा उसके पास यह विकल्प होगा कि वह नई पेंशन योजना से निकासी कर ले।

(4) अन्य राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारी चाहें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित रहे हों अथवा नई पेंशन योजना से, यदि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक-01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त होते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

(वृन्दा सरूप)

प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-सा-3-1118(1)/दस-2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

Scanned with CamScanner